



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 माघ 1937 (श0)
(सं0 पटना 107) पटना, मंगलवार, 2 फरवरी 2016

वणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं
2 फरवरी 2016

एस०ओ० 30, दिनांक 2 फरवरी 2016—बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 10, 2011) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार पेशा कर नियमावली, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

संशोधन

- उक्त नियमावली के प्रपत्र PT-IX को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:

“फारम— PT-IX

बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 की धारा-7 के अधीन विवरणी (यह अधिनियम के अधीन नामांकित व्यक्ति द्वारा समर्पित किया जायेगा)

{ देखें नियम 6 (2) }

नाम :

नामांकन संख्या :

कर्मचारी/नियोजकों का नाम, यदि हो तो :

वर्ष :

- (1) अनुसूची के अनुसार कर निर्धारिती का वर्ग :
- (2) जमा करने वाला कर :
- (3) कर के रूप में जमा की गयी कुल रकम :

रकम (रूपये)

(चालान संख्या/चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या और दिनांक)

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस रिटर्न में दी गयी विशिष्टियाँ मेरी जानकारी में पूर्ण सत्य व सही है।

दिनांक
स्थान

हस्ताक्षर
पदनाम

2. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/ संशोधन-10/2015-455)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

2 फरवरी 2016

एस०ओ० 31, एस०ओ० 30, दिनांक 2 फरवरी 2016 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं० बिक्री-कर/ संशोधन-10/2015-456)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 2nd February 2016

S.O. 30, dated the 2nd February 2016—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 18 of The Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011(Bihar Act 10 of 2011), the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments to the Bihar professional Tax Rules, 2011:-

Amendments

1. Form PT-IX of the said rules shall be substituted by the following:

"FORM PT-IX

Return under Section 7 of the Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011

(This shall be furnished by a person enrolled under the Act)

[See Rule 6 (2)]

Name :

Enrollment Number :

Name of employer/employers, if any :

Year :

(1) Class of Tax Assessee as per Schedule :

(2) Tax payable :

(3) Total amount paid by way of tax :

Amount (Rs.)

Challan No./Cheque/DD No. and Date

I hereby declare that the particulars furnished in this Return are correct and complete to the best of my Knowledge and belief.

Date

Signature

Place

Designation

2. This notification shall come into force with effect from the date of its issuance.

[(F. No. Bikri-kar/Sansodhan- 10/2015-455)]

By order of the Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Commissioner-cum-Principal Secretary

Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 107-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>